भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *94
02.12.2024 को उत्तर के लिए

एकल-उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध

***94. श्री कुलदीप इंदौरा :**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने प्लास्टिक बैग, कटलरी, स्ट्रॉ, खाद्य पैकेजिंग और इसी तरह की वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाते हुए एकल-उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लागू किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि इस प्रतिबंध के बावजूद देश भर में ऐसी एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक की वस्तुओं का उपयोग व्यापक रूप से जारी है; और

(ग) यदि हां, तो आर्थिक रूप से व्यवहार्य गैर-प्लास्टिक विकल्पों की उपलब्धता बढ़ाने के साथ-साथ प्रतिबंध के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

'एकल-उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध' के संबंध में श्री कुलदीप इंदौरा द्वारा दिनांक 02.12.2024 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *94 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग) मंत्रालय ने दिनांक 12 अगस्त 2021 को सा.का.नि. सं. 571 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2021 अधिसूचित किया है जिसमें अभिज्ञात एकल उपयोग वाली प्लास्टिक की ऐसी वस्तुओं, जिनकी उपयोगिता कम और कचरा फैलाने की संभावना अधिक है, को दिनांक 1 जुलाई, 2022 से प्रतिबंधित किया गया है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2021 के तहत निम्नलिखित अभिज्ञात एकल उपयोग वाली प्लास्टिक की वस्तुओं, जिनकी उपयोगिता कम है और कचरा फैलाने की संभावना अधिक है, को दिनांक 01 जुलाई, 2022 से प्रतिबंधित कर दिया गया है :

- प्लास्टिक स्टिक वाले ईअर बड, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, सजावट के लिए पॉलीस्टाइरीन [थर्मोकोल];
- प्लेट, कप, गिलास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डिब्बों को लपेटने या पैक करने में प्रयुक्त फिल्म, निमंत्रण कार्डों और सिगरेट के पैकेटों को लपेटने या पैक करने में प्रयुक्त फिल्म, 100 माइक्रोन से कम प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, स्टरर।

इस अधिसूचना में दिनांक 31 दिसम्बर, 2022 से एक सौ बीस माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैग के विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, विक्रय और उपयोग को भी प्रतिबंधित किया गया है। 60 ग्राम प्रति वर्गमीटर (जीएसएम) से कम के गैर-बुने हुए प्लास्टिक कैरी बैग भी दिनांक 30 सितंबर 2021 से प्रतिबंधित हैं। गुटखा, तंबाकू और पान मसाला के भंडारण, पैकिंग या बिक्री के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्लास्टिक सामग्री से बनाए गए पाउचों पर पूर्ण प्रतिबंध है। सीपीसीबी की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (पीडब्ल्यूएम) नियम के अलावा, 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने प्लास्टिक कैरी बैग और/या अभिज्ञात एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर पूर्ण या आंशिक प्रतिबंध से संबंधित विनियम लाते हुए अधिसूचनाएं/आदेश जारी किए हैं।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को फल और सब्जी बाजारों, थोक बाजारों, स्थानीय बाजारों, फूल विक्रेताओं, प्लास्टिक कैरी बैग बनाने वाली इकाइयों आदि को शामिल करते हुए अभिज्ञात एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं और एक सौ बीस माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैग पर प्रतिबंध को लागू करने के लिए नियमित प्रवर्तन अभियान चलाने के लिए कहा गया है। इसका उल्लंघन होने पर संबंधित अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की गई है, जिसमें प्रतिबंधित एकल उपयोग

प्लास्टिक वस्तुओं को जब्त करना और जुर्माना लगाना शामिल है। इसके अलावा, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी)/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी) उन वस्तुओं पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं, जिन्हें प्रतिबंधित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक (एसयूपी) वस्तुओं के विकल्प के रूप में बेचा जाता है, जैसे प्लास्टिक शीट से ढके पेपर प्लेट, किंतु जो वास्तव में प्रतिबंधित एसयूपी वस्तुएं हैं। सीपीसीबी, एसपीसीबी/पीसीसी और स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा जुलाई 2022 से अभिज्ञात एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध के कार्यान्वयन के लिए अखिल भारतीय स्तर पर प्रवर्तन अभियान चलाए गए हैं। प्रवर्तन अभियानों के दौरान, कुल 60,367 निरीक्षण किए गए हैं जिनके दौरान लगभग 19.77 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है और 1963.6 टन प्लास्टिक जब्त किया गया है।

इसके अलावा, देश में अभिज्ञात एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की प्रभावी निगरानी के लिए निम्नलिखित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संचालित हैं (क) व्यापक कार्य योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए राष्ट्रीय डैशबोर्ड (ख) एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के प्रयोग को समाप्त करने संबंधी अनुपालन के लिए सीपीसीबी निगरानी मॉड्यूल और (ग) सीपीसीबी शिकायत निवारण ऐप।

केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और स्थानीय प्राधिकरण ने पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाने के लिए कदम उठाए हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और जैव प्रौद्योगिकी विभाग योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रतिबंधित एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के विकल्प के लिए अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सहयोग प्रदान करते हैं। नीति आयोग ने प्लास्टिक और उनके अनुप्रयोगों के लिए वैकल्पिक उत्पादों और प्रौद्योगिकियों पर एक रिपोर्ट भी प्रकाशित की है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के पास एमएसएमई इकाइयों को सहायता प्रदान करने की योजनाएँ हैं, जिनमें ऐसी इकाइयों को सहायता प्रदान करना शामिल है जो पहले प्रतिबंधित एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के विनिर्माण में शामिल थीं ताकि वे उनके बदले विकल्पों/अन्य उत्पादों का विनिर्माण कर सकें।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिनांक 26-27 सितंबर 2022 को चेन्नई में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के लिए पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों पर राष्ट्रीय एक्सपो और स्टार्ट-अप कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन किया था। इस एक्सपो में लगभग 150 ऐसे निकायों को एक मंच प्रदान किया गया जो प्लास्टिक के पर्यावरण अनुकूल विकल्पों के अनुसंधान और विकास, निर्माण और बिक्री के क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। इस एक्सपो में पर्यावरण अनुकूल उत्पाद स्पेक्ट्रम में अभिनव उत्पादों की जानकारी उपलब्ध कराई गई जिनमें कैरी बैग, उपयोगिता वस्तुएं, परिधान, जूते-चप्पल,

स्वास्थ्य संबंधी उत्पाद, सैनिटरी पैड, कटलरी और कई अन्य उत्पाद शामिल हैं। ये केले के पत्ते से बने उत्पाद, फाइबर, राइस ब्रान, धान की भूसी, कृषि उत्पाद, सुपारी के पत्ते, नारियल की जटा, मिट्टी, ताड़ के पत्ते, कपड़ा, जूट आदि जैसे विभिन्न प्रकार के कच्चे माल से भारत भर के निर्माताओं, स्वयं सहायता समूहों और कई अन्य स्टार्ट-अप फर्मों द्वारा बनाए जाते हैं।

इसके अलावा, प्रतिबंधित अभिज्ञात एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं के विकल्पों को तैयार करने और प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन करने के लिए डिजिटल समाधानों में नवाचार को प्रोत्साहित करने हेतु पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय सहित संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों तथा सीपीसीबी ने हैकथॉन का आयोजन किया है। अभिज्ञात एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने से पर्यावरण के अनुकूल अभिनव विकल्पों के विकास को गति मिली है। पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों के विकास को ध्यान में रखते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो ने कृषि उप-उत्पादों से बने खाद्य परोसने वाले बर्तनों के लिए भारतीय मानक आईएस 18267 को अधिसूचित किया है।

*****